

EASTERN RAILWAY

No. CPO/SC/SAS/Pol / Pt.II

Kolkata, the 06th July, 2017.

ALL CONCERNED

Sub: Out-of-turn promotions (OTP) to outstanding Sportspersons on sports accounts for representing India in Olympic Games.

Enclosed please find herewith the copy of Railway Board's letter No. 2016/ E(Sports)/ 5(1)/12/Rio-Olympic 2016 dated 25/04/2017 (RBE No. 39/2017 – Clarification/Corrigendum No. 79) on the subject mentioned matter.

In this regard it may be mentioned that, copy of Board's earlier letters dated 31/12/2010 & 23/05/2013, as referred in Board's present letter, were communicated to all concerned vide CPO/CCC's Serial No. 05/2011 & 76/2013 respectively..

The above letter is forwarded herewith for information, guidance and necessary action please.

(S. Chakraborty)

Sr. Personnel Officer/ BGB
for Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. 2016/ E(Sports)/ 5(1)/ 12/ Rio-Olympic 2016 dated 25/04/2017 (RBE No. 39/2017 – Clarification/Corrigendum No. 79) addressed to GM(P) All Zonal Railways & Others.

Sub.: Out-of-Turn Promotions (OTP) to outstanding Sportspersons on sports accounts for representing India in Olympic Games.

Ref.: Board's letters nos. (i) 2010/E (Sports)/4(1)/1 (policy) dated 31.12.2010 (RBE No. 189/2010),
(ii) 2012/E(Sports)/4(1)/3/OTP/DOPT dated 23.05.2013 (RBE No. 50/2013) and clarifications/ corrigendum issued thereto.

Please connect Para 9.2.1.1 (i) & 9.2.2.1 (i) of Board's policy letters mentioned above regarding out of turn promotion to outstanding sportspersons for participation in Category-A International Championships i.e. Olympic Games.

Ministry of Railways (Railway Board) have now decided that

- i) Out of turn promotion may be granted in Gazatted post for representing the Country in Olympic Games with at least 4th position;
- ii) Out of turn promotion may be granted for representing the country in Olympic Games, to the next higher grade or the grade to which he/she would be eligible for against direct recruitment, whichever is higher.

OR

In case he/she has already reached apex of the grade, in that scenario; he/she may be granted five increments (irrespective of any increment granted already), as a special case.

These instructions will also be applicable for Rio Olympics 2016.

These instructions issue with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways (Railway Board).

Bhaskar Roy Choudhury

(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director. Estt. (Sports)

सर्व संबंधित

विषय : ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खेलकूद में
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बिना बारी के पदोन्नति (ओ.टी.पी.) देना।

उक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2016/ई (स्पोर्ट्स)/5 (1)/12/रियो- ओलम्पिक 2016 दिनांक 25.04.2017 (आर.बी.ई.सं.39/2017 स्पष्टीकरण / शुद्धिपत्र सं.-79) की प्रतिलिपि संलग्न की जाती है।

इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि बोर्ड के वर्तमान पत्र में यथा संदर्भित बोर्ड के पूर्ववर्ती पत्र दिनांक 31.12.2010 एवं 23.05.2013 की प्रतिलिपि मुकाधि/ कोलकाता के क्रम सं. क्रमशः 05/2011 एवं 76/2013 के तहत सर्वसंबंधित को संप्रेषित किए गए थे।

उपर्युक्त पत्र सूचना, मागदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जाती है।

एस.चक्रवर्ती
(एस.चक्रवर्ती) 06/7/17

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ बी.जी.बी.

कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

सभी क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक (कार्मिक) एवं अन्य को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2016/ई (स्पोर्ट्स)/5(1)/12/रियो-ओलम्पिक 2016 दिनांक 25.04.2017 (आर.बी.ई.सं.39/2017- स्पष्टीकरण / शुद्धिपत्र सं. 79) की प्रतिलिपि।

विषय : ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खेलकूद में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बिना बारी के पदोन्नति (ओ.टी.पी.) देना।

संदर्भ : बोर्ड के दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. (I) 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी) (आरबीई सं. 189/2010)

(II) दिनांक 23.05.2013 के पत्र सं. 2012/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/3/ओटीपी/डीओपीटी (आरबीई सं. 50/2013) और उस संबंध में जारी स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र।

कृपया ऊपर उल्लिखित कैटेगरी-ए की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं अर्थात् ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बिना बारी पदोन्नति देने के संबंध में बोर्ड के नीतिगत पत्रों के पैरा 9.2.1.1(i) और 9.2.2.1(i) का अवलोकन करें।

अब रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने निर्णय लिया है कि:

- ओलम्पिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कम-से-कम चौथा स्थान प्राप्त करने पर राजपत्रित पद पर बिना बारी पदोन्नति दी जाए;
- ओलम्पिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अगले उच्चतर ग्रेड या सीधी भर्ती के तहत जिस ग्रेड के लिए वे पात्र हों, जो भी उच्चतर ग्रेड हो, में बिना बारी पदोन्नति दी जाए।
अथवा

यदि वह पहले से उस ग्रेड के शीर्ष पर पहुँच गया हो तो उस स्थिति में उसे एक विशेष मामले के रूप में पांच वेतनवृद्धि (पहले से दी गई किसी वेतनवृद्धि को ध्यान में रखे बिना) दी जाए।

ये अनुदेश रियो ओलम्पिक, 2016 के लिए भी लागू होंगे।

इन अनुदेशों को रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।